आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आर्म्स अपील वाद संख्या–186 / 2022

अमिताभ बच्चन राय

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
25.01.2023	प्रस्तुत अपीलवद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–749 / 2021 में दिनांक 20.07.2022 को पारित आदेश के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र प्रशाखा, हाजीपुर, वैशाली के आदेश ज्ञापांक–711 / जिला शस्त्र दिनांक–31.12.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश से प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र प्रशाखा द्वारा अपीलकर्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–2776 / NH / KNA को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित समादेश दिनांक 20.07.2022 में अंकित है किः– **" It is needless to state that in case appropriate appeal is filed within a period of four weeks from today, the appellate authority shall consider the same on merits and shall not be impeded by the issue of limitation."** अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता के विरुद्ध लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग करने का	

WEB COPY NOT OFFICIAL

कभी कोई शिकायत नहीं है एवं नहीं उन पर कभी कोई ऐसा कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें शस्त्र का गलत प्रयोग किया गया हो। आगे इनका कहना है कि अपीलकर्ता को गुमराह करने की नियत से उनके दुश्मनों द्वारा पुलिस को गुप्त सूचना देकर उनके विरुद्ध गंगा ब्रिज थाना कांड संख्या–143/2018 में दफा–30 (ए), 38, 47 उत्पाद अधिनियम के तहत अभियुक्त बना दिया गया। उक्त मुकदमें में उनके दुश्मनों द्वारा नाम दिया गया है, जबकि उनके पास से शराब या कोई भी आपत्तिजनक वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है, अपितु वह घटना अपीलकर्ता के गॉव से 7–8 कि0मी0 दूर हुआ है एवं उसमें संलिप्त और भी जो अभियुक्त हैं, उनको वे (अपीलकर्ता) जानते भी नहीं हैं। उक्त थाना कांड संख्या–143/2018 के आधार पर प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र प्रशाखा, हाजीपुर, वैशाली ने अपने पत्रांक–397 दिनांक–30.10.2019 से अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की, जिसका जबाव अपीलकर्ता द्वारा दिनांक–30.10.2019 को दिया गया। जिसमें उन्होने उल्लेख किया है कि उक्त वाद में अपीलकर्ता को जमानत मिल गयी है। फिर भी जिला शस्त्र पदाधिकारी, हाजीपुर ने अपने पत्रांक–711 दिनांक–31.12.2019 से अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया है, जो गलत है।

वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान बताया कि अपीलकर्ता पर 1800 लीटर शराब बरामदगी का वाद गंगा ब्रिज थाना कांड संख्या–143/2018 दर्ज हुआ। इन्होने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इनकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है, जो बिल्कुल सही है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक,

WEB COPY NOT OFFICIAL

वैशाली के कार्यालय पत्रांक–500 दिनांक–03.09.2019 द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध गंगा ब्रिज थाना कांड संख्या–143/2018 दिनांक–15.10.2018 में आरोप सत्य पाए जाने तथा आरोप पत्र संख्या–11/2019 दिनांक–24.02.2019 समर्पित करने संबंधी तथ्यों से अवगत कराते हुए अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गई। उक्त के संबंध में अपीलकर्ता से जिला शस्त्र प्रशाखा के पत्रांक–397 दिनांक–30.10.2019 से कारण पृच्छा किया गया। कारण पृच्छा से असहमत होने पर प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र प्रशाखा, हाजीपुर, वैशाली ने अपने ज्ञापांक–711 दिनांक–31.12.2019 से अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को निलंबित करने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि गंगाब्रिज थाना काण्ड संख्या–143/2018 दिनांक–15.10.2018 में धारा–30 (ए)/38/47 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018, के तहत अपीलकर्ता को अभियुक्त बनाया गया। उक्त कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से अपीकलकर्ता पर लगे आरोप को सत्य पाया गया। वैसे भी अपीलकर्ता के विरुद्ध जो धारा लगाया गया है, वह संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। अब जहां तक अपीलकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि उन्हे उक्त कांड में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय–सह–विशेष न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली द्वारा जमानत मिल गयी है, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता को उक्त न्यायालय से केवल जमानत मिली है, अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक अभियुक्त का विषयांकित मामले में संलिप्तता है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं होता है। वैसे भी प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र प्रशाखा हाजीपुर, वैशाली ने अपीलकर्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द नही किया है, अपितु आयुद्य अधिनियम की धारा–17 (3) उप धारा–ख, घ के तहत मात्र निलंबित

WEB COPY NOT OFFICIAL

	किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र प्रशाखा द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 691 दिनांक–31.12. 2019 से अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को निलंबित किये जाने के दिया गया आदेश बिल्कुल सही है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र प्रशाखा द्वारा अपने ज्ञापांक 691 दिनांक 31.12.2019 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL